न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	13.09.2021	07.01.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री रवि कुमार साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री सांवरिया किराणा स्टोर पेट्रोल पम्प रोड होटल दुर्गा निवास के सामने देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोक राज0
2–श्री पवन साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू प्रोपरायटर मैसर्स श्री सांवरिया किराणा स्टोर पेट्रोल पम्प रोड होटल दुर्गा निवास के सामने देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0

.... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (v) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 07.01.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.07.2021 को समय 1.41 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री सांवरिया किराणा स्टोर पेट्रोल पम्प रोड होटल दुर्गा निवास के सामने देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री रवि कुमार साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री सांवरिया किराणा स्टोर पेट्रोल पम्प रोड होटल दुर्गा निवास के सामने देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता/मैनेजर होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया तथा श्री पवन साहू को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम [illegible] विक्रय हेतु दुकान मे **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री रवि कुमार साहू [illegible] फार्म नं. 5ए में वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता रवि कुमार साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे स्टील की केन मे लगभग 20 किलोग्राम **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) रखे हुये मे से 2 किलोग्राम बॉट मापक से तुलवाकर का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री रवि कुमार साहू को रू0 360/–अक्षरे तीन सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) खरीदशुद्वा 2 किलोग्राम को अलग–अलग 500–500 ग्राम बॉट मापक से तुलवाकर प्लास्टिक की चार साफ व सूखे डिब्बो मे बराबर–बराबर भरकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2880 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2880 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. रवि कुमार साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/2624 दिनांक 11.08.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/799/एक्ट/2021/836 दिनांक 02.08.2021 अनुसार रवि कुमार साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी [illegible] कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) का उल्लंघन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested

है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाव प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिर्च पावडर खुला** (Chilli Powder Loose) का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन** (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(v) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रवि कुमार साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू एफ.वी.ओ. मैसर्स श्री सांवरिया किराणा स्टोर पेट्रोल पम्प रोड होटल दुर्गा निवास के सामने देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री पवन साहू पुत्र श्री प्रहलाद साहू प्रोपरायटर मैसर्स श्री सांवरिया किराणा स्टोर पेट्रोल पम्प रोड होटल दुर्गा निवास के सामने देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 12 तेली मोहल्ला देवली जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संवंधित मद में निर्णय दिनांक 07.01.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

7.1.2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.03.16 14:52:56 IST
Reason: SelfAttested